



2026:AHC: 4015

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19569 वर्ष 2025

आकाश सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार शुक्ला, ध्रुव नारायण सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वर्ष 2023 में पुलिस कांस्टेबल के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका चयन हो गया है और चयन सूची में उसका नाम क्रम संख्या 9041 पर है, हालांकि, याचिकाकर्ता को पूरी तरह से पात्र और योग्य होने के बावजूद नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, जबकि इसका पूरा आधार 24.10.2024 को बी.एन.एस.-2023 की धारा 115(2), 125, 118(1), 110 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 0 वर्ष 2024 है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादियों द्वारा 28.04.1958 को जारी परिपत्र के आलोक में, केवल दोषसिद्धि या मामला होना स्वतः ही चयन के लाभों से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर एक सुविचारित निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला आजमगढ़ द्वारा किया जाएगा।

4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 22.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 3, वरिष्ठ अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस अधीक्षक, जिला आजमगढ़ के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 3 तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

7 जनवरी, 2026

राजेश